

कार्यालय,

अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद

समाप्त प्रवेश सत्रसत्र।

संख्या:- प्राविध/परिषद/समाप्त/2023/12090091

सत्रसत्र दिनांक: 12-09-2023

कार्यालय सूचना:-


अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्दिष्ट सत्र 2023-24 हेतु पूर्ण रूप से संघटित डिप्लोमा स्तरीय सस्कीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सत्रसत्र के सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में सत्रसत्र दिनांक 23-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदान अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा किए गए निर्णय के अनुसूच में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सत्रसत्र द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन सम्बद्धता एवं आगे अखिल प्रदेश समता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का पता एवं नाम : 4054 BRESHAK COLLEGE OF PHARMACY			
सत्रसत्र	सम्बद्धता का नाम	एडमिशन/रीजुअर/पीसीसी/सर्जेंट द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित फीस सत्रसत्र	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित फीस सत्रसत्र
1	DIPLOMA IN PHARMACY	₹	₹

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ अखिल शिक्षा, अनुसूच-3 द्वारा चयन किये गए संस्था 311718-308997/2022 टीसीसी-1 दिनांक 18 नवंबर 2023 द्वारा पूर्ण रूप से संघटित समस्त संस्थाओं की शर्तों के निम्न अधीन चिकित्सा परिषद में चयन किए गए संस्था 00272023 में सस्कीकी शिक्षण संस्था के अधीन निर्णय के अधीन सम्बद्धता निर्णय की जाती है।
- ✓ सत्रसत्र अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्दिष्ट की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के अध्यक्ष के अनुसार के अनुसार संस्थान में सम्बद्धता समिति (अभि.समाप्त. संघ. अनुसूच) प्रति उपस्थित है।
- ✓ संस्था द्वारा प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं उ० प्र० प्राविधिक शिक्षा परिषद विधिवतपुर्वक 1992, दिल्ली/राज्य-2000, संसदीय विधिवतपुर्वक-2016 एवं सत्रसत्रसत्र पर निर्णय सम्बद्धताओं का अनुपालन करेगी तथा शुल्क विवरण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क में वसूली उपस्थित में प्रेषित किया जायेगा। उपस्थित के अनिश्चित (अव्यक्त) में शुल्क के सम्बन्ध में सम्बद्धता या सत्रसत्र द्वारा निर्णय किये जाने तक सत्रसत्रसत्र 2023 में नहीं, और उपस्थित फार्मसी शिक्षा उ० प्र० सत्रसत्र सत्रसत्र की निर्णय समिति द्वारा यदि सत्र 2023-24 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाये है, तो फीस की अनिश्चितता हो सके होगी।
- ✓ सत्रसत्र में संस्थान द्वारा परिषद द्वारा अनुमोदित शर्तों को ही प्रयोग किया जायेगा।
- ✓ सत्रसत्र को सम्बद्धता या निर्णय सम्बद्धता के अनुसार निर्दिष्टता पर सम्बद्धता शुल्क जमा करके लेना।


 Director
 All India Council of Pharmacy
 Rajgrob, Varanasi-221001

प्रार्थना,

श्रीवि. प्रतिष्ठित विद्या परिषद,

इसरो, हरिद्वार, उत्तरांचल

संख्या:- श्रीवि.परीषद/सम्ब/सा/2021/13537

मसुदा दिनांक: 08/03/2021

:-संबंधित बात:-

श्रीवि. राष्ट्रीय स्तरकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राजकी कौशलिय आँक इम्प्लिमा, 20ई विधीय द्वाया सीधिय सन 2021-22 हेतु शिक्षणय राष्ट्रीय स्तरकी शिक्षण संस्थाकी को अनुमोदन पदान किट जाने के उपरान्त श्रीवि. प्रतिष्ठित विद्या परिषद, इसरो, उत्तरांचल को सम्बद्धा सम्बद्धा विद्यालय उद्घाटन किये जाने हेतु दिनांक- 08/03/2021 को परिषद/राजकी से सम्बद्धा समिति की बैठक संभल गई। बैठक में समिति द्वारा सन 2021-22 हेतु, श्रीवि.परीषद की संस्थाकी को सम्बद्धा पूर्ण से श्रीवि. प्रतिष्ठित विद्या परिषद, इसरो, उत्तरांचल को उद्घाटन किये जाने का निर्णय लिया गया।


सम्बद्धा समिति की बैठक में निचे गने विधीय के अनुकूल में शिक्षण संस्था को श्रीवि. प्रतिष्ठित विद्या परिषद, इसरो, उत्तरांचल द्वारा सन 2021-22 हेतु निम्नलिखित दरों के अधीन परीक्षाक्रम एवं उसमें अंकित वरीय समय हेतु सम्बद्धा विद्यालय पदान की जाती है:-

संस्था का पते का पता :- 4954-KRISHNA COLLEGE OF PHARMACY, VILL & POST-RAJGARH, MURZAPUR-231001

क्र.सं.	परीक्षाक्रम का नाम	परीक्षा/उद्घाटन/उद्घाटन की तिथि/दिनांक/द्वारा सन	परीषद द्वारा सन 2021-22 हेतु अनुमोदित परीक्षा समय	परीषद द्वारा सन 2021-22 हेतु अनुमोदित परीक्षा समय
1	DIPLOMA IN PHARMACY	69	80	80

संबद्धा हेतु शर्तें

- ✓ संस्था को (अनुमोदित/उद्घाटन/उद्घाटन/उद्घाटन) द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था द्वारा प्रेषित श्रीवि. प्रतिष्ठित विद्या परिषद, इसरो, उत्तरांचल श्रीवि. प्रतिष्ठित विद्या परिषद, दिल्ली/राजकी 1992, संस्थागत विनियमनकी-2018 तथा अन्य निर्धारित विनियमों एवं शर्तों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण अतिरिक्त द्वाया निर्धारित शुल्क कीमत करीब इतनी परीक्षाओं हेतु रु. 10000.00/- प्रतिवर्ष, दो शीतक परीक्षा परीक्षाक्रम हेतु रु. 15000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो शीतक परीक्षाओं को करीब परीक्षा परीक्षाक्रम के अधीनगत हेतु रु. 22000.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही वास्तविक व्ययपत्रों से प्राप्त किया जायेगा। उपायों के अधीनगत व्ययपत्रों में शुल्क के अंतर्गत में सम्बद्धा परीक्षा या सन द्वारा निर्धारित निचे उक्त गने सम्बद्धा प्रभारों को, सन तदनुसार सम्बद्धा विद्यालय उद्घाटन हेतु। श्रीवि. प्रतिष्ठित विद्या परिषद द्वारा सन 2021-22 हेतु शीतक का पूर्णतः पालन किया जात है, जो शीतक की पूर्णतः पालन हो सके।
- ✓ संस्था को (अनुमोदित/उद्घाटन/उद्घाटन/उद्घाटन) तथा उक्त अधिनियम, संस्थाओं को सम्बद्धा विद्यालय (अनुमोदित/उद्घाटन/उद्घाटन) की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में अनुमोदित परीक्षा परीक्षा परीक्षा द्वारा सम्बद्धा शर्तों को ही पालन किया जायेगा। शीतक के शीतक एवं शर्तों की शर्तों से उक्त उद्घाटन के अधीनगत ही प्रवेश की शर्तों की शर्तों की शर्तों।
- ✓ संस्था को सम्बद्धा परीक्षा परीक्षा परीक्षा के अनुमोदित/उद्घाटन/उद्घाटन/उद्घाटन शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को (अनुमोदित/उद्घाटन/उद्घाटन/उद्घाटन) से सम्बद्धा सन हेतु अनुमोदित पदान किया जात सम्बद्धा होगा।


 Director
 Krishna College of Pharmacy
 Raigarh, Murzapur-231001

कार्यालय,

प्रविष्ट, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या- प्राविष्टपरिषद संशोधन सम्बद्धता/2022/10770

सम्बद्ध: दिनांक: 15/12/2022

कार्यालय सार:

प्रविष्ट भारतीय राजस्वोपे शिक्षा परिषद, नई दिल्ली परमेशी कउनिवर्स ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय स्तरीय शिक्षण संस्थाओं की अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्धतासम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 04/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संघन्य हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से स्थापित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार परामर्शक प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित प्रत्येक संस्था पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा विचार किए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता पर तदसमय पीसीआईएई द्वारा अनुमोदन प्रवेश क्षमता के अनुसार प्रेषित कर दिया गया था।


पीसीआईएई के पत्र संख्या 14-441/2022-PCIA/Approval Process 2022-2023/144785-09 दिनांक 03 नवंबर 2022 में दिए गए निर्देशों वक्त में प्रसंगगत संस्थाओं से पूर्व में इंगित कमिटी के नियंत्रण का विवरण एकासाईएनका का अखंड करके हुए निर्धारित प्रारूप पर उत्पन्न पत्र दायित्व करने के लिए गए निर्देशों के अनुपालन में इन अभिलेखों के साथ साथ शपथ पत्र लेखन सहित की गई प्रवेश क्षमता की सम्बद्धता इस सत्र के साथ रखने की जाती है कि इतिष्य में संस्था के निरीक्षण के समय एकासाईएनका का संयोजन बनाया होगा।

संस्था का कोड एवं नाम : 8054-KRISHNAK COLLEGE OF PHARMACY

क्रम	पाठ्यक्रम का नाम	पीसीआईएई द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु प्रस्तावित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एकासाईएनका द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवारी 1982, विनियमवारी-2000, संशोधन विनियमवारी-2018 तथा उत्तर-प्रदेश पर निर्मित शासनवारी का अनुपालन करेगी तथा मुख्य निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय (तीन) पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो) वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्रवर्ग से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रवर्गों से शुल्क के अतिरिक्त में समय-समय पर शुल्क द्वारा निर्मित किये जाने वाले शासनवारी प्रकारी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा वरिष्ठ सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जात है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्मित शासनवारी के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाई गये विधिनिर्वाह(अधिनिर्वाह)शासनवारीनिर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा कउने एवं किये, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये उत्तरदायी है।
- ✓ यदि संस्थाओं को एकासाईएनका द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा


Director
Krishnak College of Pharmacy
Raigarh, Mirzapur-231004

प्राथमिक शिक्षा निम्नलिखित प्रकार प्रवेश करने के विरुद्ध यदि कोई वाद उत्पन्न किया जाता है तथा उभय पक्ष के संबंध में मा. न्यायालय की प्रस्तावों की पूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपत्ति संबंधित संस्था को बंदनी होगी।

संस्था को संकुल प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रेषित वर्ष के लिए आवेदित प्रवेश परीक्षा हेतु वाजिबसिद्धि प्राप्त होने के बाद परीक्षा (03/04/2022/03/04/2022/03/04/2022) में अनुसूचित जाति वन परीक्षा कार्यालय को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आचार परीक्षा) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आदेशों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठिका, स्टाफ, संज-संख्या, उपकरण, छात्रों के नाम आदि का प्रकाश मुक्त कर विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-परिचालन हेतु उपयुक्त माता-पिता उपलब्ध कराने के साथ शिक्षा सेक्टर के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित संशोधित पाठ्यक्रम को पढाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कर्मचारी अध्यापक, अध्यापिका, कर्मचार, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संभाल में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिकार समीक्षा निरीक्षण के दौरान यदि संस्था से सुनि, अथवा, प्रयोगकर्ता, उपकरण एवं अन्य सज-संख्या (03/04/2022/03/04/2022/03/04/2022) परिषद के मातृकार्यालय उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।


(एनएनएमरु खान)

सचिव


पृष्ठ- प्रतिपत्ति संख्या संख्या 2022/03/04/2022-11058

15/12/2022

प्रतिपत्ति-
प्रधानाध्यक्ष/निर्देशक, KRISHAK COLLEGE OF PHARMACY


(एनएनएमरु खान)

सचिव


Director
Krishak College of Pharmacy
Bajganj, Mirzapur-231001